राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : देशल दान, (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–28 / 2022
जीसीएमएस नं.–2022 / 54

दायर दिनांक :–08.09.2022
निर्णय दिनांक :–15.04.2026

1. श्री भवन पिता बदा अहारी,
2. श्री राजु पिता बदा अहारी,
   निवासीयान :–सारोली तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति चम्पा पति हुरमा आमलिया,
2. श्री हुरमा पिता फूला आमलिया,
   निवासीयान :–सारोली तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
3. तहसीलदार भूमिधारी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
4. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सीमलवाडा हाल भारतीय स्टेट बैक सीमलवाडा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–
1. श्री नगीन पटेल, अधिवक्ता–प्रार्थीगण
2. श्री प्रवीण शुक्ला, अधिवक्ता–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4)
राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित खसरा प्रार्थीगण के बपोती खाते कब्जे काश्त की जमीन से सटकर बिलानाम भूमि मौजा सारोली पटवार हल्का लिखी बडी में खसरा नंवर 378 / 2 में से 1.5 बीघा भूमि पर बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण के 2 मकान बने हुए हैं जिसमें वह परिवार सहित निवास कर रहे हैं और जमीन मे लगी बाड के सहारे पेड पौधे भी स्थित है। पुराने कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 378 / 2 रकबा 1.5 बीघा का आवंटन दिनांक 15 / 6 / 2002 को जरिए मिसल नंबर 1003 / 02 के अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से आवंटन किया गया है। उक्त आंवटन नियमों के विरूद्ध किया गया और पटवारी द्वारा आवंटन की सिफारिश अप्रार्थीगण से मिलकर की गई है। आवंटन के समय व आवंटन के बाद कभी भी अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं रहा है और न कब्जा करने की कोशिश की है। उक्त भूमि का भौतिक रूप से मौके की जांच नहीं की गई। अप्रार्थीगण के नाम से पूर्व से ही खाते में सवा ग्यारह बीघा भूमि खाते में दर्ज है। इसे नजरअंदाज कर आवंटन कमेटी द्वारा पटवारी की जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए गलत तथ्यों पर अप्रार्थीगण के नाम आवंटन किया गया है। अतः मौजा सारोली पटवार हल्का लिखी बडी के खसरा नंबर 378 / 2 रकबा 1.5 बीघा का आवंटन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम जरिए मिसल नंबर 1003 / 2002 दिनांक 15 / 6 / 2002 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस जवाब देही तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा झूठा विवरण अंकित किया है। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 378 / 2 से प्रार्थीगण के मकान भूमि 2 किलोमीटर दूर है। आवंटन समिति ने मौका की स्थिति की जांच कर ही अप्रार्थीगण को 20 वर्ष पूर्व सही आवंटन किया है, तब से अप्रार्थीगण के परिवार का कब्जा चला आ रहा है। भूमि पर कभी प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करना फरमाया जाए।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

तहसीलदार सीमलवाडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.10.2025 अभिलेख पर प्राप्त होकर अवलोकित की गई। प्रकरण दौरान शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सीमलवाडा हाल भारतीय स्टेट बैंक सीमलवाडा को पक्षकार बनाया गया जिसकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

उभय पक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते कथन किया कि ग्राम सारोली के खसरा नम्बर 378/2 में से 1.5 बीघा भूमि उनके कब्जे काश्त की रही है। प्रार्थीगण के मकान बने हुए हैं जिसमें वह परिवार सहित निवास कर रहे है। बिजली के बिल पेश किए हैं। अतः आवंटन निरस्त किया जाए।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण को 2002 से खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण का आवंटन निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं होने तथा अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर 20 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाए।

मेरे द्वारा प्रकरण में उपलब्ध प्रार्थना पत्र के अभिलेखों और जवाब के अभिलेखों को देखा जाकर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज है तथा काबिज हैं। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि उनका कब्जा आवंटन से पूर्व ही था और आवंटन गलत हुआ है। आवंटन कपट द्वारा अथवा दुरूपदेश द्वारा प्राप्त किया गया हो ऐसा साबित नहीं हुआ है। जबकि अप्रार्थीगण स्वयं के खातेदारी अधिकार तथा आवंटन नियमों की पालना को सिद्ध करने में सफल रहे हैं। अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 निरस्त योग्य पाया जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंवर से कम की जावे।

(देशल दान),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)